of India

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1321

नई दिल्ली, मंगलबार, मार्च 12, 2013/फाल्गुन 21, 1934

No.132

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2013/PHALGUNA 21, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता शिथाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013

सा.का.नि. 166(अ).-केन्द्रीय संस्कार, कीटनाशी नियम 1971 के नियम 5 के साथ पंतित कोरनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 16 के परंतुक द्वारा प्रदत्त राक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती हैं कि राष्ट्रीय बनस्पति ।बास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद हारा जीव-नाशकजीवमार की प्राथत केन्द्रीय फीटनाशी के निम्नतिखित कृत्य किए जाएंगे, अर्थात् :--

- (क) केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उसको अधिनियम के अधीन भेने गए जीव-नाराकजीवमार के ऐसे नभूनों का विश्लेषण करना और संबद्ध प्राधिकारी को विश्लेषण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना;
- (ख) अधिनियम के उपवधों के अधीन (सायनिक पदार्थ के लिए जीव-नाशकजीवमार के नम्नों का विश्लेषण करना:
- (ग) ऐसे पश्च रजिस्ट्रीकरण अन्वेषण करना जो नाशकजीवमार के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों को स्निश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;
- (घ) रिवस्टीकृत जीव-नाशकजीवमार के प्रभावकारिता और विषाक्तता का अवधारण करना ।

[फा. सं. 17-6/2006-पी.पी. 1] उत्पल कुगार सिंह, संपुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agricu ture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2013

G.S.R. 166(E). - In expression of the powers conferred by proviso to Section 16 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), read with rule 5 of the Insecticides Rules, 1971, the Central Government hereby directs that the following functions of the Central Insecticides Laboratory in respect of bio-pesticides shall be carried out by National Institute of Plant Health Managemen, Hyderabad, namely :-

- (a) to analyse such samples of Bio posticides sent to it under the Act by any officer or authority authorized by the Central or State Governments and submission of certificates of analysis to the concerned authority;
- (b) to analyse samples of Bio pesticides for chemical substence under the provisions of the Act;
- (c) to carry out such post registration investigations as may be necessary for the purpose of ersuring the conditions of Registration of Pesticides;
- (d) to determine the efficacy and toxicity of registered Bio pesticides.

[F. No. 17-6/2006-P.P. 1]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

1035 GI/2013